[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
सं0 20/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर(दर)

नई दिल्ली, 26 जुलाई,2018

सा0का0नि0 (अ)- संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 5/2017, संघ राज्यक्षेत्र (दर), दिनांक 28जून 2017 , जिसे सा0का0नि0 714 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II , खण्ड 3, उपखण्ड (i) मे प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में, निम्नलिखित परन्तुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-
"बशर्ते कि,-

(i) इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात नीचे दी गई सारणी के क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6क, 6ख, 6ग और 7 में उल्लिखित वस्तुओं के मामले में 01 अगस्त, 2018 को या उसके बाद से प्राप्त आपूर्ति पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लागू नहीं होगी; और

(ii) उक्त वस्तुओं के मामले में, माह जुलाई, 2018 के और इस माह तक के कर के भुगतान किए जाने के पश्चात 31 जुलाई, 2018 तक अंत:वर्ती आपूर्ति पर प्राप्त संचित इनपुट क्रैडिट, जो कि बिना उपयोग किए गए पड़ी हो, व्यपगत हो जाएगी ।"

(फाइल संख्या 354/255/2018-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना सं0 5/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर(दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का.नि. 714(अ), तारीख 28 जून, 2017 भारतकेराजपत्र, असाधारण, भाग -।।, खंड -3, उपखंड (I) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 44/2017 संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 14 नवंबर, 2017, जिसे सा.का.नि 1400 (अ) दिनांक 14 नवंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।